न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

राजस्व मामला क्रमांक 202504092100050 अ/62 वर्ष 2024-2025

(1)	(2)	(3)
14/05/2025	- प्रकरण पेश। - आवेदक सुकलू सिन्हा निवासी ग्राम घुसेरा तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.) सुशासन तिहार 2025 में आवेदन पेश किया गया है कि आवेदिका के घर के सामने ईमली का वृक्ष स्थित है, जिसे कटवाने की अनुमति प्रदाय करने हेतु निवेदन किया गया है। - उक्त संबंध में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। हल्का पटवारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम घुसेरा में आवेदक सुकलू सिन्हा का मकान निजी भूमि पर स्थित है। आवेदक के मकान के सामने शासकीय भूमि खसरा नंबर 405/1 स्थित है, जो कि सड़क रास्ता के उपयोग में एवं खाली मैदान के रूप में उपयोग ग्रामवासी उपयोग करते है। ईमली का पेड़ शासकीय भूमि पर स्थित है, जिसका व्यास लगभग 1.50 मीटर है। ईमली वृक्ष हरा-भरा व फलदार है। आवेदक के द्वारा वृक्ष में बंदरों के आने से परेशान होकर उक्त वृक्ष को कटवाने हेतु आवेदन किया है। उक्त ईमली वृक्ष से अन्य किसी प्रकार की क्षति या दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। उक्त वृक्ष को काटा जाना उचित नहीं होगा। - प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया। हल्का पटवारी के प्रतिवेदनानुसार आवेदित ईमली वृक्ष शासकीय भूमि खसरा नंबर 405/1 स्थित है, जो कि सड़क रास्ता के उपयोग में एवं खाली मैदान में हैं। उक्त ईमली वृक्ष हरा-भरा तथा फलदार है एवं ग्रामवासियों को छाया प्रदाय करती है। उक्त ईमली वृक्ष से अन्य किसी प्रकार की क्षति या दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। अतः आवेदित ईमली वृक्ष शासकीय भूमि सड़क रास्ता मद में होने व हरा-भरा होने तथा उक्त वृक्ष से किसी को जनक्षति नहीं होने के कारण आवेदित ईमली वृक्ष को काटे जाने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। - आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं घोषित। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.) अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ (छ.ग.)	